



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

ज्येष्ठ 17, गुरुवार, शाके 1934-जून 7, 2012
Jyaistha 17, Thursday, Saka 1934-June 7, 2012

भाग 1 (ख)
महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग
(अनुभाग-1)
अधिसूचना
जयपुर, जून 7, 2012

संख्या प. 13(1)प्र.सु./सम./अनु-1/2008 :- राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 (2011 का अधिनियम संख्यांक 23) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना संख्या प. 13 (1) प्र.सु./सम./अनु-1/2008 दिनांक 5 अक्टूबर, 2011, समय-समय पर यथा संशोधित, जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन सेवाओं व उनको प्रदान करने के नियत समय सीमा, पदाभिहित अधिकारी व उनकी सहायता करने वाले सहायक पदाभिहित अधिकारी, प्रथम अपील अधिकारी, द्वितीय अपील प्राधिकारी अधिसूचित किये गये थे, में नई सेवाएँ जोड़े जाने व उनके सम्बन्ध में समयावधि नियत करने, पदाभिहित अधिकारी व उनकी सहायता हेतु सहायक पदाभिहित अधिकारी, प्रथम अपील अधिकारी व द्वितीय अपील प्राधिकारी नियुक्त करने हेतु निम्नानुसार संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की सारणी के कॉलम संख्या 1 के क्रम संख्या 16 व उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्न नयी क्रम संख्या 17 एवं उसकी प्रविष्टियाँ जोड़ी जावेगी, अर्थात् :-

17	पंचायती राज विभाग	111	प्रक्रिया पूर्ण होने पर आवासीय भूमि का पट्टा जारी करना	30 दिवस	सरपंच	ग्राम सेवक	विकास अधिकारी	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	-
		112	पूर्व में जारी पट्टे की नकल जारी करना	15 दिवस	सरपंच	ग्राम सेवक	विकास अधिकारी	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	-

राज्यपाल के आदेश से,
आर. पी. जैन,
प्रमुख शासन सचिव।